बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम
(बिहार सरकार का उपक्रम)
कॉर्पोरेट पहचान सं० (CIN)-.U45200BR1974SGC001126
प्रधान कार्यालय–कौटिल्य नगर, बि०वि०स०पु० 5, थाना–हवाई अड्डा थाना, पटना–800014.

ई0 उदय कुमार दास
मुख्य अभियंता

दूरभाष (कार्यालय) : 0612-2224529
मोबाईल नं0 : 9471006801
ई–मेल : cepolicenigam@bihar.gov.in
वेबसाईट : www.bpbcc.bihar.gov.in

संचिका सं0 : . Reg- 1 / 2632

पटना, दिनांक : ..../........./2026

कार्यालय आदेश–.......53..../2026

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के निविदा आमंत्रण सूचना सं0– 05/SBD/2022–23, ग्रुप सं0–17 के माध्यम से "भागलपुर जिलान्तर्गत हवीबपुर थाना में मॉडल थाना भवन (G+3), आउट हाउस का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य" हेतु निविदा आमंत्रित की गयी थी।

उक्त निविदा के कंडिका–35 में यह शर्त अंकित था कि निविदाकारों को "केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्रों में समान प्रकृति के कार्य कराने का अनुभव, साक्ष्य सहित संलग्न (अपलोड) करने वाले संवेदक का ही निविदा मान्य होगा।"

उक्त शर्त की अनदेखी कर निविदाकार चंदन कुमार के द्वारा आपराधिक षड़यंत्र के तहत निविदा के साथ जाली अनुभव प्रमाण पत्र समर्पित कर छल पूर्वक कार्य आवंटित कराने तथा गलत ढंग से लाभ प्राप्त करने का प्रयास करने हेतु बिहार निबंधन नियमावली 2007 के कंडिका 11(क) 7 के प्रावधानों के तहत चंदन कुमार को उनके निबंधन सं0 REG. No. 1210238 RWD की वैधता की तिथि 21.02.2026 तक आगामी निविदाओं में भाग लेने से वंचित किया गया था।

उक्त Deprived (वंचित) के विरूद्ध निविदाकार चंदन कुमार के द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय में CWJC 19173 of 2024 दायर किया गया। जिसमे माननीय पटना उच्च न्यायालय के द्वारा निम्न आदेश पारित किया गया :–

"The impugned orders are, therefore, quashed and set aside. Accordingly, the writ petitions are allowed. The impugned orders of blacklisting and forfeiture of the Earnest Money Deposit of Rs. 11,15,000/- along with any accrued interest are hereby quashed. The respondents are directed to refund the entire EMD amount to the petitioners within a period of six weeks from the date of this order. All I.As, if any, shall stand disposed of. There shall be no order as to costs."

माननीय पटना उच्च न्यायालय के द्वारा पारित उक्त आदेश के विरूद्ध निगम द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (SLP) सं0 36719/2025 दायर किया गया। जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निम्न आदेश पारित किया गया :–

"Heard the learned counsel appearing for the petitioners.

We are not inclined to interfere with the impugned judgment and order passed by the High Court.

The Special Leave Petition is dismissed and the accompanying interlocutory application(s), if any, stands disposed of."

माननीय पटना उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश के आलोक में चंदन कुमार के निबंधन सं0 REG. No. 1210238 RWD जिसे बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के कार्यालय आदेश सं0 298/2024 सहपठित ज्ञापांक–एच0क्यू0 3020 दिनांक 03.08.2024 से वैधता की तिथि 21.02.2026 तक आगामी निविदाओं में भाग लेने से वंचित किया गया था, से मुक्त किया जाता है।

ह0/–
(उदय कुमार दास)
मुख्य अभियंता

ज्ञापांकः–........376........................ पटना, दिनांकः– 2 / 2 / 2026

प्रतिलिपिः–अधीक्षण अभियंता (मो0) / अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल–1 एवं 2 / कार्यपालक अभियंता, मोनेटरिंग, बी0ओ0क्यू0, गुणनियंत्रण / कार्यपालक अभियंता, सभी कार्य प्रमण्डल, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना / मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना / मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना / मुख्य अभियंता, बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण, पटना / मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना / मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार अद्यौगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएं आधारभूत संरचना निगम, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना / मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार ग्रामीण कार्य विकास अधिकरण, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. श्री जितेन्द्र गिरि, वरीय निजी सहायक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम को निगम के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

31/1/26

(उदय कुमार दास)
मुख्य अभियंता